न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00368

लोडक्या आत्मज लक्ष्मण जाति मीणा निवासीगण ग्राम हजारी भैरू की झौंपडिया तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सीलोर द्वारा सरपंच महोदय ग्राम पंचायत सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2. सचिव महोदय ग्राम पंचायत सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
3. प्रभूलाल आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी हजारी भैरू की झौंपडिया तहसील व जिला बून्दी ।
4. मृतक छीतर लाल आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी हजारी भैरू की झौंपडियां तहसील व जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :—
   4/1. श्रीमती संतोष बाई पत्नी स्व0 छीतर लाल जाति मीणा निवासी हजारी भैरू की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
   4/2. ओमेश कुमार आत्मज स्व0 श्री छीतर लाल जाति मीणा निवासी हजारी भैरू की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
5. अमर लाल आत्मज औंकार मीणा निवासी हजारी भैरू की झौंपडिया तहसील व जिला बून्दी ।
6. इन्द्रा बाई पुत्री औंकार जाति मीणा पत्नी चौथमल निवासी हजारी भैरू की झौंपडिया तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 6 एवं अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी में वादीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 2636/1560 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1560/2068 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । वादीगण के खाते एवं कब्जे की उक्त भूमि के उत्तरी ओर एक गडार 12 फिट चौडी कई वर्षों पूर्व से आवागमन हेतु बनी हुई है जिसमें से होकर ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि आराम से निकल जाते हैं । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार निहित नहीं है । ग्राम पंचायत सीलोर के सरपंच वादीगण की उक्त आराजी के उत्तरी ओर गडार के पश्चात् दक्षिणी ओर वादीगण के खाते की भूमि के भीतर दक्षिणी ओर 50 फिट भूमि अन्दर की और नरेगा के तहत जबरन एवं बलपूर्वक रोड निकालने पर आमादा हो रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण की भूमि में से होकर कभी भी कोई रास्ता अथवा सडक निकली हुई नहीं थी तथा आवागमन हेतु गडार वादीगण के खाते की भूमि की सीमा के बहार उत्तरी ओर 12 फिट चौडी कई वर्षो पूर्व से अवागमन हेतु उपलब्ध है । वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी सडक अथवा रोड निकालने के लिए न तो भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है और न ही इस बाबत् कोई मुआवजा राशि वादीगण को अदा की गई है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के उत्तरी ओर अथवा किसी भी ओर उत्तरी ओर स्थित गडार के दक्षिणी ओर वादीगण के खाते की भूमि में जबरन एवं बलपूर्वक रोड अथवा सडक नहीं निकालने बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । दौराने दावा प्रतिवादीगण वादीगण के खाते एवं कब्जे की उक्त भूमि में जबरन एवं बलपूर्वक रोड अथवा सडक निकाल लेवे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावे तथा वादीगण के खाते की भूमि की पूर्ववत स्थिति बहाल की जावे ।

4. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी क्रम 05 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण प्रभूलाल, छीतरलाल, अमरलाल, इन्द्रा अपील हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण उनको तरतीबी रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं किया । प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा कहने पर हुई कि हम जीत गये जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 13.10.2015 को अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया और दिनांक 14.10.2015 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 04.11.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य क़िया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी वाके ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। वादीगण के खाते और कब्जे की इस आराजी के उत्तर की ओर एक गडार 12 फिट चौडी है जिसमें से होकर ट्रेक्टर, ट्रोली इत्यादि निकलते हैं । प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है । प्रतिवोदीगण जबरन वादीगण के खाते की भूमि के भीतर रोड निकालने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गयाहै । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गई थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बंताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया था और इसमें दिनांक 09.07.2015 की तारीख नियत की थी और इससे पूर्व ही इसको दिनांक 19.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही किसी तरह का कोई राजीनामा पक्षकारान के द्वारा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वाद वादी खारिज किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर

तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा